-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मध्य प्रदेश पुलिस से 05 हजार के इनाम घोषित शातिर अभियुक्त को थाना फतेहगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त पर हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हैं कई मामले।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के सकुशल सम्पन्न कराये जाने, जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा लोकसभा चुनाव के प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 02.04.2024 को 05 हजार के इनामिया अभियुक्त को थाना फतेहगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना फतेहगंज पुलिस को सूचना मिली की मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 05 हजार रुपये का इनाम घोषित अभियुक्त कुरुहू मोड़ के पास कहीं जा रहा है। सूचना का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त सुकरु उर्फ राकेश पर मध्य प्रदेश के सतना जनपद के थाना मझगवां में मु0अ0सं0 117/11 धारा 364ए/307 भादवि, 25/27 आर्म्स एक्ट व 11/13 एडी एक्ट पंजीकृत था जिसमें वह वांछित चल रहा था। अभियुक्त पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 05 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

बरामदगी-

- 01 देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

- सुकरू उर्फ राकेश पुत्र दादूलाल नि0 गोबरी थाना फतेहगंज जनपद बाँदा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 14/12 धारा 307 भादवि व 12/14 डीए एक्ट थाना फतेहगंज जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 15/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहगंज जनपद बांदा
3. मु0अ0सं0 18/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहगंज जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 15/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहगंज जनपद बांदा
5. मु0अ0सं0 117/11 धारा 364ए/307 भादवि, 25/27 आर्म्स एक्ट व 11/13 एडी एक्ट थाना मझगवां जनपद सतना (म0प्र0)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 फतेहगंज श्री रामजीत गौड़
2. कां0 शुभम सिंह
3. कां0 शैलेन्द्र सिंह